सिलिकॉन वैली में छाई अशांति

साभार : इंडियन एक्सप्रेस **09 अगस्त, 2017**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1 (महिलाओं की भूमिका, समाज) के लिए महत्वपूर्ण है।

गूगल पर आये एक मेमो जो लैंगिक भेदभाव को न्यायसंगत बताता है, फिर से पितृसत्तात्मक समाज की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है।

यह एक ऐसा विचार हैं जिसका समय बहुत पहले ही समाप्त हो चुका हैं। फिर भी इसे उग्रवाद और भेदभाव की रक्षा के लिए असंगत तर्कों और विनिर्मित तथ्यों का उपयोग करते हुए बार-बार पेश किया जाता रहा हैं। गूगल (Google) के ही एक कर्मचारी द्वारा ''गूगल आइडियोलॉजी इको चेम्बर'' नामक एक 10 पृष्ठ के आंतरिक मेमो को लीक कर दिया गया है, जिसमें लैंगिक असंतुलन और कार्यस्थल में प्रणालीगत भेदभाव ''पुरुषों और महिलाओं को जैविक रूप से कई मायनों में भिन्नता'' को दर्शाया गया और कहा है कि ''महिलाओं में न्यूरोटिकिज्म (उच्च चिंता, कम तनाव सहिष्णुता) अधिक होती है।'' गूगल, जिस पर इस वर्ष के शुरूआती दौर में अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा लैंगिक वेतन भेदभाव का आरोप लगाया गया था, ने इस ज्ञापन से खुद को दूर कर लिया है।

हालांकि एक एकल व्यक्ति के बयानों को खारिज करते हुए गूगल ने कथित कर्मचारी को नौकरी से बाहर कर दिया है, लेकिन इसके अंतर्निहित मान्यताओं को सामान्यतया इनके द्वारा ही तैनात किया जाता रहा है। यह विचार सरल है: सामाजिक और आर्थिक भेदभाव ''स्वाभाविक'' है यदि इससे उन लोगों को लाभ मिलता है तो जाति व्यवस्था से गुलामी के साथ ही उपनिवेशवाद और लिंग भेदभाव के लिए इस बुनियादी प्रारूप का उपयोग करना अनुचित है। इसी समय, इस प्रवृत्ति को लगातार प्रश्न में लाया जाता रहा है, उस वक्त भी जब बौद्धिक उपकरण अनुपलब्ध थे। उदाहरण के लिए प्लेटो, अपने समय और स्थान के पितृसत्तात्मक विश्वासों की सदस्यता लेने के बाद भी महिलाओं के लिए गणतंत्र में सैनिकों और नेताओं के रूप में शामिल होने का तर्क दिया था और फ्रेडरिक एंजल्स, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में संपत्ति और लिंग संबंधों के बीच अंतर्निहित संबंधों को स्थापित करने के लिए 1884 की शुरुआत में प्रबंधित किया था। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार क्यों इस समय सिलिकॉन वैली में अशांति छाई हुई है?

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, (2015) में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न

1. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये। **(2015)**

वर्ष 2016 में, द एलीफैंट इन द वैली सर्वे के अनुसार सिलिकॉन वैली में काम कर रहे 60 प्रतिशत महिलाओं को अवांछित यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और 87 प्रतिशत को अपने सहकर्मियों द्वारा अभद्र टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। इस साल की शुरुआत में, उबर के सीईओ ट्रैविस कलानिक ने उत्पीड़न और कंपनी में भेदभाव की कहानियों के बाद इस्तीफा दे दिया। गूगल दस्तावेज में उन लोगों का विचार पितृसत्तात्मक विशेषाधिकार को दोहराने का गलत प्रयास है और यह किसी पुस्तक में लिखी सबसे पुरानी चाल अर्थात पीड़ित को दोषी ठहराना (Blaming the victim) से प्रेरित लगता है।

महिलाओं से संबंधित कानून

- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम
- सती प्रथा (निवारण) अधिनियम एवं नियमावली
- महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व
- दहेज प्रतिषेध नियमावली
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम,1990
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (26.10.2006 से लागू)
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013

संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना, अनुच्छेद 16 (1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 (1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त, अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को समान रूप से प्रदत्त, अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 39 (घ) में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य संस्थाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था, अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है, अनुच्छेद 51 (क) (ड) में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, अनुच्छेद 33 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 332 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम

यह कानून क्या करता है?

- यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है।
- यह कानून यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिह्नित करता है और यह बताता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है।
- यह कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो।
- इस कानून में यह जरूरी नहीं है कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ है, वह वहां नौकरी करती हो।
- कार्यस्थल कोई भी कार्यालय/दफ्तर हो सकता है, चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के कारण:

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के बहुत सारे कारण है; कुछ कारण आम तौर पर एक पूरे के रूप में समाज में प्रचलित है लेकिन कुछ विशेष रुप से कार्यस्थल पर किये जाते हैं। उनमें से कुछ की नीचे व्याख्या की जा रही है:

पितृसत्तात्मक संरचना:

महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के उत्पीड़न या हिंसा के पीछे का सामान्य कारण हमारे समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक संरचना है जहां एक पुरुष सदैव अपने आप को जीवन के हरेक पहलू में महिलाओं से अधिक स्वयं को सर्वशक्तिमान समझता है। ये श्रेष्ठता अपने आप में महिलाओं और कार्यशील महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार के जटिल भेदभावों को व्यवहार में प्रकट करती है। इस प्रकार, एक पुरुष कर्मचारी ये कभी नहीं चाहता कि उसके साथ कोई महिला सहयोगी बराबरी के साथ काम करे या वो कार्यालय में उससे ऊँचे स्तर पर पहुँचे और उसे असहज बनाने, नीचा दिखाने के लिये उसका उत्पीड़न करते हैं, पुरुष सहयोगी द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और उनमें से कुछ प्रमुख यौन अभद्रता की तकनीक है जैसे: अभद्र टिप्पणी, अप्रिय व्यवहार, गंदी फोटो या विडियों या ऐसा ही कोई अभद्रता पूर्ण व्यवहार आदि।

यौन विकृति:

इसके अलावा, कुछ निश्चित लोगों की विकृत यौन मानसिक प्रवृति भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रमुख कारणों में से एक है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अधिक से अधिक महिला कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है, वहीं से कुछ इस तरह के यौन विकृत व्यवहार में लिप्त पुरुषों की पहुंच को आसान बना दिया है।

कार्यस्थल पर ईर्ष्या:

कार्यस्थल पर ईर्ष्या भी महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधों का कारण है, एक पुरुष कर्मचारी अपने नियोक्ता द्वारा अपनी महिला सहयोगी को सफलता, प्रमोशन या प्रोत्साहन प्राप्त करते हुये नहीं देखना चाहता। और ईर्ष्या के कारण, वो उसे विकृत यौन व्यवहार से उत्पीड़ित करता है। ये भी पुरुष की कथित श्रेष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है कि महिलाएं कभी भी पुरुषों से बेहतर नहीं हो सकती।

अवमानना और अपमान की भावना:

इन कारणों के अलावा, पुरुषों के बीच में महिलाओं के लिये एक सामान्य अवमानना और अपमान की भावना भी एक प्रमुख कारण है जहां महिलाएं केवल पुरुषों द्वारा अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम होती है। हम अपने घरों में महिलाओं का सम्मान करते हैं लेकिन समाज में अन्य महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिये। कार्यस्थल पर महिलाएं अलग नहीं होती है, पुरुष सहयोगी उन्हें केवल खेलने का एक माध्यम समझते हैं, अभद्र टिप्पणी और जोक्स, अश्लील हरकत, यौन प्रकृति की गपशप आदि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किये जाने वाले कार्य है। यद्यपि हमारे समाज में हम महिलाओं का सम्मान और पूजा करने का दावा करते हैं लेकिन वास्तविकता में महिलाओं के खिलाफ किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के अपराध दिखाते हैं कि हमारे दावे सिर्फ एक झूठ से अलग कुछ नहीं है।

पुरुष श्रेष्ठता:

इस प्रकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के कई और विभिन्न कारण है लेकिन उन सब कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण आमतौर पर पुरुषों में पुरुषों के श्रेष्ठ होने की भावना का गहराई तक होना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की सामाजिक स्थितियाँ अगली पीढ़ियों में इस तरह की भावनाओं को प्रेषित करती है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों को जन्म देती है।

संभावित प्रश्न

''भारत का संविधान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिये समान अधिकार प्रदान करता है। महिलाओं को कार्य करने के लिये किसी भी क्षेत्र या व्यवसाय को चुनने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन व्यवहार में महिलाओं के साथ घर और घर के बाहर दोनों जगह भेदभाव होता है।'' इस कथन के सन्दर्भ में महिलाओं की दयनीय स्थिति के कारणों और इसके निदान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322